31/10/25 पत्रावली पेशी में ली गई। बहस वादीपक्ष सुनी गई। वादी ने वाद पत्र कथन किया है कि चक 1 JRK खाता सं. 75/50 में वादी सं. 1 के पिता का नाम बृजलाल सिंह चक 1 JRK खाता सं. 54/50 में वादी सं. 2 के पिता का नाम बृजलाल सिंह खाता सं. 141/114 में वादी सं. 2 के पिता का बृजलाल सिंह व इसी चक के खाता सं. 64/55 में वादी सं. 3 के पिता का नाम बृजलाल सिंह दर्ज रिकॉर्ड है जो गलत है। प्रार्थीगण के पिता का सही नाम बिरजू सिंह है इसी अनुसार रिकॉर्ड दुरुस्ती किये जाने का निवेदन किया गया।

वादपत्र दर्ज कर तहसीलदार हनुमानगढ़ से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसील पत्रांक LR/3333 दिनांक 16.9.25 द्वारा अवगत करवाया गया है कि बिरजू सिंह। बृजलाल सिंह पुत्र मेहताब सिंह एक ही व्यक्ति के नाम है।

अतः तहसीलदार अनुशंषा के आधार पर वाद स्वीकार कर निर्देश है कि चक 1 JRK खाता सं. 75/50, 54/50, 141/114, 64/55 में वादीगण के पिता का नाम बृजलाल सिंह की जगह बिरजू सिंह दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्ट यथावत रहे। आदेश सुनाया जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाती है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़